न्यायालय– सिविल न्यायाधीश, वरीय प्रभाग, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–167/2014

सीआईएस 169/2014

आदेश

21-03-2024

प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से हाजिरी दी गई। वादी के द्वारा दिनांक–11.04.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 1 एवं 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा उक्त आवेदन को देने में हुए विलम्ब हेतु आवेदन दिनांक–21.02.24 अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया। उपरोक्त आवेदनों को संचालित करते हुए वे अभिकथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0–1, 13, 14, 19, 26, 28, 31 की मुत्यु हो चुकी है। वादी सं0–1 नशीव राय की मृत्यु दिनांक–28.02.23 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने चार पुत्रों– राजा राम राय, सीताराम, अरूण कुमार व राजेश राय को छोड़ गए हैं। वादी सं0–13 बालेश्वर राय की मृत्यु दिनांक–10.01.2023 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने विधिक वारिसान मनोज राय को छोड़ गए हैं। वादी सं0–19 बालमुकुंद राय की मृत्यु दिनांक–20.02.2023 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने तीन पुत्र गुड्डु राय, राजाराम राय व पवन कुमार को छोड़ गए हैं। वादी सं0–26 बिनय राय की मृत्यु दिनांक–02.01.2023 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने भाई अजय राय को छोड़ गए हैं जो पूर्व से ही इस वाद में वादी सं0–27 हैं। वादी सं0–28 लाल राय की मृत्यु दिनांक–01.02.2023 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने दो पुत्र कंधी राय व मोहन राय को अपने विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। वादी सं0–31 नगिना राय की मृत्यु दिनांक–31.12.2022 को हो चुकी है और वे अपने पीछे अपने तीन पुत्र राम प्रवेश राय, विजय राय एवं माल बाबू राय को छोड़ गए हैं। अतः उपरोक्त मृतक वादी सं0–26 के नाम को विलोपित करने एवं मृतक वादी सं0–1, 13, 19, 26, 28 एवं 31 के नाम को विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों के नामों को प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

वादी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–11.04.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 1 एवं 3 –सह– पठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा उक्त आवेदन को देने में हुए विलम्ब हेतु आवेदन दिनांक–21.02.24 अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि उक्त आवेदनों को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार मृतक वादीगण के नाम को विलोपित करते हुए नियमानुसार उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान के नाम को प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक–. वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश, (वरीय प्रभाग) षष्ठम्
पटना सिटी